

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/आईएफएमएस/पेमेनेजर/3981-4026 दिनांक: 29/10/2021

कोषाधिकारी
समस्त

विषय दिनांक 30.10.2021 एवं 31.10.2021 को
कोषालय/उपकोषालय खोले जाने हेतु।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 30.10.2021 एवं 31.10.2021 को कोषालय/उपकोषालय खोले जाकर कोषालय में प्राप्त वेतन बिलों एवं बोनस बिलों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि दिनांक 01.11.2021 को वेतन भुगतान हो सके। यह वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग 271100297 दिनांक 29.10.2021 द्वारा अनुमोदित है।

भवदीया



(अमिता शर्मा)

अति.निदेशक(आईएफएमएस)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/आईएफएमएस/पेमेनेजर/4021-22 दिनांक: 29/10/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।



अति.निदेशक(आईएफएमएस)